दिनांक 18.1.2019 को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, अध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में सप्तम बैठक का कार्यवृत्त

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18 जनवरी 2019 को दून विश्वविद्यालय, देहरादून के सभागार में उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की सप्तम बैठक आयोजित की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्नक–1 में अवलोकनीय है। रुसा परियोजना निदेशक की संयुक्त परियोजना निदेशक, डॉ0 हर्षवन्ती बिष्ट द्वारा बैठक में मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत करने केउपरान्त राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सम्पादित कार्यो के विषय में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

मद संख्या (1) **दिनांक 5 सितम्बर 2018 को आयोजित षष्टम बैठक के निर्णयों की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या का अनुमोदन।**

मद संख्या (2) **रुसा की वार्षिक आख्या 2018–19**

रुसा फेज–1 में नई सुविधा मद में अवमुक्त धनराशि से दिनांक 20 फरवरी 2019 तक समस्त क्रय का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या (3) **नये सत्र में अधिक से अधिक महाविद्यालय का नैक प्रत्यायन कराया जाना।**

नैक प्रत्यायन कराने हेतु लगभग ₹ 4 लाख प्रति कालेज आवश्यकता होगी। अतः कालेजों को नैक फीस ₹ 100/– प्रति छात्र लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय। इस फीस में से बड़े कालेज छोटे कालेजों को एड़वांस दें, जो छोटे कालेजों द्वारा धीरे–धीरे अपनी नैक फीस से लौटाई जाय। प्रत्येक नैक परामर्शदाता को ₹ 4000 प्रति कालेज की दर से व्यय की प्रतिपूर्ति रूसा से किया जाय ताकि नैक प्रत्यायन को गति मिल सके।

मद संख्या (4) **रुसा के पदों का 2019–20 में सततीकरण।**

रुसा परियोजना निदेशालय हेतु शासनादेश संख्या 3467 दिनांक 20 मार्च 2017 द्वारा सृजित पदों के लिए दिनांक 01.03.2019 से 29.02.2020 तक सततीकरण करने का अनुमोदन किया जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या (5) **रुसा सलाहकारों हेतु वाहन की व्यवस्था।**

रुसा परियोजना निदेशालय में सलाहकार के दो पदों पर कार्यरत सलाहकारों को कार्यो के अनुसार रुसा परियोजना निदेशालय स्तर से मासिक किराये पर एक वाहन शेयरिंग आधार पर उपलब्ध कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या (6) **नई सुविधा मद हेतु पुस्तक क्रय की प्रक्रिया का निर्धारण एवं ईटेन्डरिंग की समस्या।**

मा0 मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया है कि नई सुविधा मद के अन्तर्गत पुस्तक क्रय के सम्बन्ध में रुसा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्राचार्यो द्वारा अनुपालन में आ रही परेशानियों से अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया पूर्वनिर्गत शासनादेश में पुस्तक क्रय को ई–टेन्डरिंग से हटाते हुए संशोधित शासनादेश निर्गत किया जा रहा है। विस्तृत चर्चा उपरान्त मा0 मंत्री जी द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2019 तक नई सुविधा मद की धनराशि का पूर्ण उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या (7) **रुसा के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु लिए गये साक्षात्कार पर निर्णय।**

रुसा के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति हेतु उपनल विषयक सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश में साक्षात्कार लिये जाने के सम्बन्ध में साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं है। किंतु उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश में ऐसी व्यवस्था है। निर्णय लिया गया कि उक्त शिक्षा विभाग के शासनादेश को संशोधित कर दिया जाय। किंतु तकनीकी कार्य (Computer Typing इत्यादि) अभ्यर्थियों की दक्षता भी सुनिश्चित की जाय।

मद संख्या (8) **कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर भर्ती।**

उपरोक्त मद संख्या (7) के अनुसार।

मद संख्या (9) **राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम बनाये जाने विषयक।**

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

मद संख्या (10) **वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 1.4.2018 से दिसम्बर 2018 तक प्रारम्भिक अनुदान के व्यय पर कार्योत्तर स्वीकृति।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिनांक 01.04.2018 से दिसम्बर 2018 तक ₹ 48,40,920 के व्यय पर समिति द्वारा अनुमोदन कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी

मद संख्या (11) **रुसा कर्मचारियों को अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाना।**

रुसा कर्मचारियों को अतिरिक्त पारिश्रमिक दिये जाने के सम्बन्ध में कार्याधिक्य को दृष्टिगत रखते हुए तृतीय श्रेणी को ₹ 5000 एवं चतुर्थ श्रेणी को ₹ 2000 वार्षिक अतिरिक्त प्रोत्साहन रुप में दिये जाने पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

मद संख्या (12) **अम्ब्रेला एक्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

अम्ब्रेला एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है। राज्य के हित के अनुसार इसमें सभी कुलपतियों व भूतपूर्व कुलपतियों की एक बैठक आयोजित कर सुझाव लिये जाने पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

मद संख्या (13) **पॉच शिक्षकों को श्रीभक्त दर्शन पुरस्कार दिया जाना।**

पॉच शिक्षकों को श्रीभक्त दर्शन पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में यह पुरस्कार, शिक्षाविद व पूर्व सांसद मा0 भक्त दर्शन सिंह जी के नाम पर दिया जाय। इस हेतु निदेशक उच्च शिक्षा से नियमों के विषय में प्रस्ताव यथाशीघ्र प्राप्त कर शासन स्तर पर निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए।

मद संख्या (14) **रुसा, उच्च शिक्षा परिषद् एवं क्षेत्रीय कार्यालय हेतु भवन निर्माण।**

रुसा, उच्च शिक्षा परिषद् एवं क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण हेतु ₹ 1.50 करोड रुसा से तथा 50 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने पर समिति ने सहमति व अनुमोदन दिया। इस कार्य हेतु ब्रिडकुल को कार्यदायी संस्था का कार्य दिये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

मद संख्या (15) **ज्ञान कुम्भ की आख्या।**

दिनांक 3 से 4 नवम्बर 2018 तक आयोजित ज्ञान कुम्भ का सफल आयोजन की आख्या संयोजक ज्ञान कुम्भ प्रो0 यू0एस0 रावत द्वारा प्रस्तुत की गयी। प्रो0 रावत द्वारा अवगत कराया गया कि ज्ञान कुम्भ के खाते में ₹ 14 लाख अवशेष है। उन्हे शीघ्र अंतिम लेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या (16) ई–टेन्डर/जैम हेतु डिजिटल सिग्नेचर बनवाने हेतु वित्तीय प्राविधान।

ई–टेन्डर/जैम हेतु डिजिटल सिग्नेचर बनवाने हेतु होने वाले व्यय को रुसा के प्रारम्भिक मद से दिये जाने हेतु सहमति बनी।

मद संख्या (17) एडुसैट में कार्यरत इंजीनियर की वेतन वृद्धि।

एडुसैट में कार्यरत इंजीनियर के वेतन को ₹ 27,500 से ₹ 35000 किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि शेष एस0आई0टी0 क्रियाशील होने सें पूर्व वेतन वृद्धि प्रदान न की जाय। किंतु शेष एस.आई.टी. क्रियाशील होने पर वेतनवृद्धि प्रदान कर दी जाय।

मद संख्या (18) नये महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता दिया जाना।

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल के स्तर से शासन के निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों में संबद्धीकरण हेतु शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु निर्देश दिए गए। निर्देशित किया गया कि कुलाधिपति के सचिव को भी इस सम्बंध में अवगत करा दिया जाय।

मद संख्या (19) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1. पुस्तक दान अभियान के अन्तर्गत चयनित महाविद्यालयों को विधायक निधि से दी गयी धनराशि की जानकारी प्राप्त की जाय। अगले तीन दिनों में पुस्तक दान अभियान से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्रो0 के0डी0 पुरोहित, रुसा सलाहकार अध्यक्ष महोदय को देगें।
2. नव नियुक्त प्राध्यापकों को प्रथम पॉच वर्ष पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया जाय।
3. यू0जी0सी0 व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान से परियोजनाओं पर शोध कार्य करने वाले प्राध्यापकों का एक सेमीनार कराया जाय ताकि वे अन्य महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को प्रोजेक्ट हेतु दिशानिर्देश दे सके।
4. 102 महाविद्यालयों का कॉशनमनी खातों में ₹ 5 करोड़ लगभग धनराशि है। रुसा से आच्छादित व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को छोडकर अन्य महाविद्यालयों में

लैब, पुस्तकालय, उपकरण उपलब्ध करानेहेतु इसे प्रयोग किया जाय। इस हेतु महाविद्यालयोंको आदेश जारी किया जाय कि धनराशि निदेशालय स्तर पर पूल करके व्यय की जाय। इस ऐसे महाविद्यालयों में व्यय किया जाय जिनके पास रूसा अथवा अन्य वित्तीय स्रोत न हों। अगले सत्र में महाविद्यालयों में कॉशन मनी का प्रावधान पुनः किया जाना है। डी0ए0वी0 कॉलेज के काशन मनी से 10 कमरे निर्माण, लैब उपकरण व पुस्तक क्रय की जाय। अपर सचिव, उच्च शिक्षा, डी0ए0बी0 पी0जी0 कॉलेज, देहरादून के छात्र खातों का जायजा लेकर ब्यौरा उपलब्ध करायें। एम0बी0 कॉलेज हल्द्वानी, व महिला महाविद्यालय हल्द्वानी में एक दलभेजा जाय और उनकी जो आवश्यकता है, उसका मूल्यांकन करे तथा वे कार्य कॉशन मनी से किये जाये।

5. उपस्थित 18 सदस्यों में से प्रत्येक 2 महाविद्यलायों में जाकर दिनांक 10 फरवरी 2019 तक नई सुविधाओं का कार्य पूर्ण करवाने में मदद करने पर सहमति बनी।
6. प्रो डी0के0 नौरियाल, कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं प्रो0 हरीश चन्दोला, कुमाऊँ विश्वविद्यालय एम0बी0 पी0जी0 कॉलेज, हल्द्वानी एंव महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर स्थिति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर परिषद् द्वारा सहमति प्रदान की गयी

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त उच्च शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की बैठक समाप्त हुई।

3.1.2019

अपर मुख्य सचिव एवं
परियोजना निदेशक, रुसा
उत्तराखण्ड शासन

परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम्, देहरादून
संख्या : 665 (21)/रुसा/2018–19 दिनांक : 05 ~~जनवरी~~ 2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।

2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं परियोजना निदेशक, 'रुसा', उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, अपर सचिव, उच्च शिक्षा एवं अपर परियोजना निदेशक, रुसा उत्तराखण्ड।
5. संयुक्त सचिव, मा0स0वि0म0 (उच्च शिक्षा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् के समस्त सदस्य।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी नैनीताल।
8. नोडल अधिकारी, रुसा, उत्तराखण्ड।

डॉ0 (अहमद इकबाल)
अपर परियोजना निदेशक, रुसा